आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखण्ड

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग की स्थापना का मूल उद्देश्य जन सहभागिता से प्राकृतिक आपदाओं की बारम्बारता और प्रभाव को यथासम्भव न्यून करना, आपदा की स्थिति में प्रभावित जन समुदाय को त्वरित व प्रभावी सहायता उपलब्ध करवाना एवं आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाओं की पुनर्प्राप्ति हेतु प्रयास करना हैं।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अुनरूप आपदा से जुड़े विभिन्न तकनीकी पक्षों पर शोध व अध्ययन के साथ–साथ जनजागरूकता व क्षमता विकास सम्बन्धित कार्यो के लिए राज्य में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) का गठन किया गया है।

राज्य में घटित होने वाली आपदाओं की स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान व सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वयन के लिए राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC) की स्थापना सचिवालय परिसर, देहरादून में की गयी है।

लक्ष्य

बेहतर आपदा प्रबन्धन के माध्यम से आपदाओं की रोकथाम तथा प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु उपयुक्त नीति निर्धारण और जनजागरूकता व क्षमता विकास के माध्यम से आपदा उपरान्त प्रभावितों को राहत पहुंचाना तथा पुनर्प्राप्ति को गति देना।

इस हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के क्रम में राज्य स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व राज्य कार्यकारी समिति तथा जनपद स्तर पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित है। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा राज्य व जनपद स्तर पर विकसित आपदा प्रबन्धन योजनाओं का नियमित रूप से अनुमोदन किया जाता है। इन योजनाओं को प्रत्येक वर्ष मानसून के आगमन से पूर्व अद्यतन किया जाता है।

क्रियाकलाप

आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा सामान्य रूप से किये जाने वाले प्रमुख कार्यो को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

- आपदा प्रभावितों को राहत सहायता उपलब्ध करवाना।

- आपदा की स्थिति में त्वरित व प्रभावी प्रतिवादन हेतु मानव संसाधन विकास।
- आपदा सम्बन्धित सूचनाओं का त्वरित आदान–प्रदान।
- आपदा उपरान्त खोज एवं बचाव हेतु आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विभिन्न स्तर पर आपदा अन्तराक्षेपण दलों का गठन एवं क्षमता विकास।
- जोखिम एवं घातकता आंकलन हेतु महत्वपूर्ण आंकडों व सूचनाओं का संकलन, शोध व विश्लेषण।
- आपदा सुरक्षा हेतु जन जागरूकता ताकि सुरक्षा उपायों का स्वैच्छिक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- आपदा प्रबन्धन योजनाओं का विकास।
- बड़ी आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार को अतिरिक्त सहायता हेतु प्रतिवेदन भेजा जाना।
- बाह्य सहायता संस्थाओं के साथ समन्वय।

इसके अतिरिक्त राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में वीडियो कान्फ्रेसिंग, उपग्रहीय दूरसंचार (सैटेलाईट फोन) सुविधा के साथ ही पुलिस बेतार सेवा उपलब्ध है। इस केन्द्र द्वारा राज्य में घटित विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण भी किया जाता है। इस केन्द्र में सामान्य संचार सुविधाओं के साथ–साथ टौल फ्री नं0 1070 भी लगाया गया है तथा जनपदों में टौल फ्री नं0 1077 भी लगाया गया है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र–

उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर में स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन वर्ष पर्यन्त 24 X 7 प्रारूप पर किया जाता है। यह केन्द्र आपदा सम्बन्धित सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान व आपदा की स्थिति में सभी सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वयन के लिये उत्तरदायी है। जनपद स्तर पर स्थापित जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों द्वारा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को नियमित रूप से सूचनायें प्रेषित की जाती है। इस व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा सम्पूर्ण राज्य के डाटा को एक प्लेटफार्म पर लाने हेतु वैब आधारित MIS (सचेत) विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य में घटित आपदाओं तथा इससे सम्बन्धित समस्त जानकारियों को आनलाईन अपडेट किया जा रहा है। इस व्यवस्था

के द्वारा सूचनाओं के आदान–प्रदान में तेजी आयी है तथा राज्य व जनपद स्तर पर अधिकारियों को आपदाओं से जुड़ी विभिन्न जानकारियॉ तत्काल उपलब्ध हो जाती हैं। इस MIS के माध्यम से जनपद तथा राज्य स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं व आंकड़ों में एकरूपता भी सुनिश्चित हो पायी है।